न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई

प्रकरण संख्या 111/2024
प्रकरण दायर दिनांक 01.08.2024
प्रकरण निर्णय दिनांक 30.06.2025

उनवान

1. जगदीश पुत्र रामप्रताप जाति गुर्जर निवासी दिगारिया टप्पा कोलेश्वर तहसील बांदीकुई जिला दौसा, राजस्थान।

प्रार्थी

बनाम

1. कौरी देवी पत्नी रामप्रताप जाति गुर्जर
2. राजेश पुत्र रामप्रताप जाति गुर्जर
   निवासी दिगारिया टप्पा कोलेश्वर तहसील बांदीकुई जिला दौसा, राजस्थान ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा, राजस्थान।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 30.06.2025

प्रार्थीगण द्वारा विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा जर्ये वकील श्री ऋषिराज शर्मा के इस आशय से पेश किया कि वाके ग्राम दिगारिया टप्पा कोलेश्वर पटवार हल्का धनावड तहसील बांदीकुई जिला दौसा के नये खाता संख्या 38 पुराने 160 जिसके आराजी खसरा नम्बर 393 रकबा 0.17 टैक्टे, खसरा नम्बर 394 रकबा 0.31 चाही 1 जाव 1, खसरा नम्बर 395 रकबा 0.07 हैक्टे. गै.भु.चाह, खसरा नम्बर 396 रकबा 0.31 हैक्टे. चाही 1 जाव 1, खसरा नम्बर 397 रकबा 0.20 हैक्टे, चाही 1 जाब 1, खसरा नम्बर 402 रकबा 0.16 हैक्टे. चाही 1 जाव 1 खसरा नम्बर 595/1554 रकबा 0.87 हैक्टे. बारानी ए, खसरा नम्बर 592 रकबा 4.09 हैक्टे. बारानी 2 कुल किता 8 कुल रकबा 6.18 हैक्टे. लगानी 89 रूपये 89 पैसे स्थित है जिसके वर्तमान राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का हिस्सा 1/3, अप्रार्थी संख्या 1, 2 प्रत्येक का पृथक से 1/3–1/3 के काश्तकार का अंकन दर्ज है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 व नक्शा शीट वादपत्र के साथ पेश है। प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 02 में वर्णित वादग्रस्त भूमि का अभी तक विधिवत तकास्मा नहीं हुआ है। पक्षकारान ने मन समाई से बाहमी रूप से दर्ज हिस्से अनुसार अपने–अपने हिस्से कायम किये हुए है प्रार्थी अपने हिस्से पर शान्ति पूर्वक काबिज काश्त करते हुए प्राकृतिक ऊपज पैदा कर लाभान्वित होता आ रहा है। और अपने हिस्से का लगान अदा कर रहा हैं वादग्रस्त खसरा नम्बर 585/1554 में प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण ने अपने पुख्ता रिहायश निर्मित की हुई है। प्रार्थना

Scanned with OKEN Scanner

पत्र के चरण संख्या 02 में वर्णित वादग्रस्त भूमि का विधिवत तकास्मा नही होने के कारण प्रार्थी के शान्ति पूर्वक काश्त करने सिंचाई बुआई निराई कटाई एंव कृषि से सम्बन्धित आधुनिक कृषि संयंत्रों के उपयोग को लेकर काश्त तक टैक्टर आदि साधन लाने ले जाने के लिये हमेशा छोटी मोटी बातो को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाता है। प्रार्थी के शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग में कोई बाधा अड़चन नही हो इसको लेकर प्रार्थी ने दिनांक 22/07/2024 को अप्रार्थीगण से वादग्रस्त भूमि के तहसीलदार महोदय बांदीकुई के यहाँ आपसी सहमति से कानूनी विभाजन के लिए कहा तो अप्रार्थीगण साफ तौर से इन्कार हो गये इस कारण दावा तकास्मा पेश करना आवश्यक हुआ है। वादपत्र के चरण संख्या 01 में वर्णित वादग्रस्त भूमि का दर्ज हिस्से एंव कब्जे काश्त के अनुसार सरस-नरस तकास्मा किया जाकर प्रार्थी का राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के नाम से पर्चा, पासबुक, जमाबन्दी, काश्तकार का अंकन करते हुये वादग्रस्त भूमि में आवागमन हेतु रास्ता इत्यादि का ध्यान रखते हुये जोत विभाजन हेतु दावा तकास्मा पेश है। वादग्रस्त भूमि का कानूनी विभाजन नहीं हुआ है। अप्रार्थी संख्या 02 जो आदतन बुरे व्यसनो का आदि है अपने व्यसनो की पूर्ति हेतु अप्रार्थी संख्या 01 के साथ मिलकर वादग्रस्त भूमि को दीगर लोगो को बेचने पर आमादा है अप्रार्थीगण कई मर्तबा एलानिया धमकी दे चुके है कि हम वादग्रस्त भूमि में से अपने सम्पूर्ण हिस्से का बेचान करेगे जिससे प्रार्थी परेशान होकर अपने हिस्से से बेकब्जा हो जावे प्रार्थी के शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग में व्यवधान न हो और जब तक वादग्रस्त भूमि का कानूनी रूप से विभाजन नहीं हो जावे तब तक दीगर सख्स वादग्रस्त भूमि में प्रवेश नहीं करे इसके लिये अप्रार्थीगण को फौरी तौर पर पाबन्द किया जाना आवश्यक है। यदि अप्रार्थीगण अपने नाजायज अवैध उद्देश्य में सफल हो गये तो प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी तथा जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से किसी भी रूप में संम्भव नही हो सकेगी तथा प्रार्थी अपने हक अधिकारात से बेवजह वंचित हो जावेगा तथा पक्षकारो के मध्य बिना वजह मुकदमें बाजी छिड जावेगी जो बाय से बर्बादी प्रार्थी होगी ऐसी सूरत में जुमले अप्रार्थीगण को फौरी तौर से इस अमर से पाबन्द किया जाना नितान्त आवश्यक है कि वे स्वंय उनके नौकर, ऐजेन्ट, प्रतिनिधि, मददगारान, पॉवर ऑफ अटोर्नी होल्डर वादग्रस्त भूमि को किसी दीगर सख्स को रहन बय विक्रय नहीं करे और भूमि की किस्म को परिवर्तित न करे ना ही खाम या पुख्ता निर्माण करे और तहसीलदार महोदय बांदीकुई को भी पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में राजस्व अभिलेख में कोई अन्तरण, परिवर्तन का इन्तकाल दर्ज न करे वादग्रस्त भूमि के मौके एंव रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिये ताफैसला दावा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करने हेतु प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश है। प्राईमा फैसाई केस सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त बमुकाबले अप्रार्थीगण, प्रार्थी के पक्ष में बखूबी प्रमाणित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर जुमले अप्रार्थीगण को फौरी तौर से इस अमर से पाबन्द फरमाया जावे कि वे स्वंय उनके नौकर, ऐजेन्ट, प्रतिनिधि, मददगारान, पॉवर ऑफ अटोर्नी होल्डर वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 38 पुराने 160 जिसके आराजी खसरा नम्बर 393 रकबा 0.17 हैक्टे., खसरा नम्बर 394 रकबा 0.31 चाही 1 जाव 1, खसरा नम्बर 395 रकबा 0.07 हैक्टे. गै. मु.चाह, खसरा नम्बर 396 रकबा 0.31 हैक्टे. चाही 1 जाव 1, खसरा नम्बर 397 रकबा 0.20 हैक्टे. चाही 1 जाव 1,

Scanned with OKEN Scanner

खसरा नम्बर 402 रकबा 0.16 हैक्टे. चाही 1 जाव 1, खसरा नम्बर 595/1554 रकबा 0.87 हैक्टे. बारानी ए. खसरा नम्बर 592 रकबा 4.09 हैक्टे. बारानी 2 कुल किता 8 कुल रकबा 6.18 हैक्टे. लगानी 89 रूपये 89 पैसे स्थित है वाके ग्राम ढिगारिया टप्पा कोलेश्वर पटवार हल्का धनावड तहसील बांदीकुई जिला दौसा को किसी दीगर सख्स को रहन बय विक्रय नही करें और भूमि की किस्म को परिवर्तित न करे ना ही खाम या पुख्ता निर्माण करे और तहसीलदार बांदीकुई को भी पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में राजस्व अभिलेख में कोई अन्तरण, परिवर्तन का इन्तकाल दर्ज न करे वादग्रस्त भूमि के मौके एंव रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिये प्रतिबन्धित रहे।

प्रकरण में प्रार्थी वकील को एकपक्षीय रूप से सुनने के बाद दिनांक 01.08.2024 को न्यायालय हाजा द्वारा अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण जर्ये नोटिस सम्मन विधिवत की गयी। अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 की ओर से एड. श्री नवीन कुमार गुर्जर उपस्थित आये तथा अप्रार्थी संख्या 03 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थी संख्या 03 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 की ओर से एड.श्री नवीन कुमार गुर्जर ने जबाब प्रस्तुत नहीं कर दिनांक 25.06.2025 को प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने बाबत सहमति प्रदान की । इस बाबत अप्रार्थीगण वकील ने आदेशिका पर हस्ताक्षर किये।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्ष बहस सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने बाबत निवेदन किया। अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 की ओर से एड.श्री नवीनकुमार गुर्जर ने जबाब प्रस्तुत नहीं कर दौराने बहस प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने बाबत सहमति प्रदान की।

अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के विनिश्चय हेतु तीन आधारभूत विचारणीय बिन्दु है जो इस प्रकार है:-

01. प्रथम दृष्टया मामला
02. सुविधा का संतुलन
03. अपूरणीय क्षति

01.प्रथम दृष्टया मामला

पत्रावली में उपलब्ध ग्राम ढिगारिया टप्पा कोलेश्वर की जमाबंदी खाता संख्या 38 का अवलोकन किया गया जिसमे प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संयुक्त खातेदार है। मूलवाद दावा तकास्मा का है। मूल वाद की सुनवाई के दौरान भूमि का बेचान अथवा स्वरूप बदल सकता है। इसलिये प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित है।

02. सुविधा का संतुलन 03. अपूरणीय क्षति

प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से उक्त दोनो बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में तय किये जाते है।

Scanned with OKEN Scanner

अतः वकील उभयपक्ष बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात के अवलोकन के आधार पर प्रकरण में जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 01.08.2024 को ताफैसला मूलवाद कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूलवाद रहे। यह निर्णय आज दिनांक 30.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/6/25

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

जगदीश बनाम कौरी देवी

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मु.नं. ता. 111/24	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
अप्रार्थी सं. 1, 2 के वकील द्वारा प्रार्थना पत्र का कोई जवाब पेश नहीं करना चाहा। अतः अप्रार्थी सं. 1, 2 का जवाब बंद किया जाता है। तलबी अप्रार्थी सं. 03 की जाकर पत्रावली दिनांक 26/06/2025 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा) 26/06/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० तलबी अप्रार्थी सं. 03 की जाकर पत्रावली दिनांक 30/06/2025 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा) 30/06/2025 पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उप०। अप्रार्थी सं. 03 का नोटिस/सम्मन बाद तामील प्राप्त। बावजूद तामील अप्रार्थी सं. 03 उपस्थित नहीं। अतः अप्रार्थी सं. 03 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील उभयपक्ष द्वारा प्रा.पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस की गयी। हमने उभयपक्ष वकील बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण सं. 01 व 02 के वकील द्वारा ना.1 स्वीकार करने हेतु सहमति प्रदान की इस बाबत आदेशिका पर दिनांक 25/06/2025 को हस्ताक्षर किये। हमने वकील उभयपक्ष बहस पर मनन किया। मूलवाद दावा तकसमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का है मूल वाद की सुनवाई के दौरान भूमि का बेचान अथवा स्वरूप बदलने का अंदेशा है। इसके मद्देनजर प्रकरण में जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वकील उभयपक्ष बहस पर मनन करने एवं प्रा.पत्र, पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रकरण में जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 01/08/2024 को फैसला मूलवाद कन्फर्म किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली कैफियत शुमार होकर संलग्न मूलवाद रहे। 30/6/25 उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	

Scanned with OKEN Scanner